

## प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

### औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/107741/RMP/RAMPUR/1231/CFO

दिनांक : 08-02-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **Kanha Swarnima** पता **Khet No. - 9,10,11,12,13,14,15,17,18 min. Village,0,RAMPUR** तहसील - **BILASPUR** प्लाट एरिया **53543.89 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **0** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	0	0	0 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **Kanha Swarnima** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **Kanha Swarnima** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** According to FSSO Inspection Report, प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया कि स्थल पर अभी कोई निर्माण नहीं है। आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल में प्लॉट पर जो भी निर्माण होगा तो निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उस प्लॉट का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। टाउनशिप में पब्लिक सेफ्टी के दृष्टिगत एनबीसी-2016 के नियमों का पालन किया जाये एवं फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर हार्डिड्रेन्ट, भूमिगत टैंक100000 लीटर क्षमता एवं 01 डीजल पम्प एवं 01 इलेक्ट्रिक पम्प 2280 एलपीएम 01 जाँकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का स्थापित किया जाना वांछनीय है। Recommended.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

ANKUSH MITTAL

476246D122F2EDBADA94F167771817511103EE5A

13-02-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 13-02-2024  
स्थान : RAMPUR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

**National Highways Authority of India**

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-रुद्रपुर तृतीय तल, श्री गुरु अंगद देव जी कॉम्प्लेक्स, रुद्रपुर, - 263153

Project Implementation Unit-Rudrapur, 3rd Floor, Shri Guru Angad Dev ji Complex, Rudrapur - 263153

दूरभाष / Phone : 05944-351597 ई-मेल / E-mail : pdpiurudrapur@nhai.org वेबसाइट / Website : www.nhai.org



सत्यमेव जयते

पत्रांक-एन.एच.ए.आई./पी.आई.यू.-आर.यू.पी.सी./ अनुमति-अनापत्ति /2024/437

दिनांक-28.02.2024

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, रामपुर।

विषय- अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- (1) आपका पत्रांक 2519/जि0पं0, दिनांक 21.02.2024.

(2) अधिकृत प्रतिनिधि श्री बलदेव राज सुखीजा, मैसर्स कान्हा स्वर्णिमा का पत्रांक दिनांक 23.02.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आप द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-74 में ग्राम डिबडिबा तहसील बिलासपुर, रामपुर के गाटा सं0 10,11,12,13,14,15,17 एवं 18 में अधिकृत प्रतिनिधि श्री बलदेव राज सुखीजा, मैसर्स कान्हा स्वर्णिमा द्वारा प्रस्तावित आवासीय कालोनी के भवन मानचित्र को स्वीकृत कर आपके कार्यालय को अनापत्ति पत्र प्रेषित करने हेतु अवगत कराया गया है। इस क्रम में अवगत कराना है कि आवासीय/व्यवसायिक भवन के मानचित्र स्वीकृत करने का कार्य भा0रा0रा0प्रा0 के कार्यक्षेत्रान्तर्गत नहीं आता है। अतः सम्बंधित संरचना हेतु भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा सम्बंधित आवासीय कालोनी के मानचित्र पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।

2. इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि ग्राम डिबडिबा तहसील बिलासपुर, रामपुर के उपरोक्त वर्णित गाटा संख्याओं में से केवल गाटा संख्या 13 एवं 15 की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग-74 की भूमि अधिग्रहण की गई है, चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग की जद (ROW) में मानचित्र की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है, इसलिए मानचित्र स्वीकृति के समय कृपया राष्ट्रीय राजमार्ग की जद (ROW) का ध्यान रखा जाए। यह भी अवगत कराना है कि आवासीय/व्यवसायिक भवन के निर्माण हेतु IRC:73-1983 में मानक निर्धारित है, जिसका अनुपालन मानचित्र की स्वीकृति के समय किया जाना चाहिए।

3. अवगत कराना है कि ग्राम डिबडिबा तहसील बिलासपुर, रामपुर में गाटा संख्या 13 एवं 15 के सामने राजमार्ग की जद (ROW) मार्ग के मध्य से सम्बंधित गाटा संख्या 13 एवं 15 की ओर लगभग 22.5 मीटर है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

*Meeva*  
28/02/2024

(मीनू)

प्रबंधक (तक0)

कृते परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि:- अधिकृत प्रतिनिधि श्री बलदेव राज सुखीजा, मैसर्स कान्हा स्वर्णिमा को आपके पत्र दिनांक 23.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

